

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग विजनौर।  
पत्रांक १११ / १५१ विजनौर दिनांक सितम्बर , २६ , २०१६।  
सेवा में

वन सरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,  
मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद।

विषय — विजनौर में नहटोर—नूरपुर—जोया—अमरोहा मार्ग किमी० २६.४० की दाढ़ी पअरी पर ग्राम आजगगढ़ उर्फ रत्नगढ़ के खसरा सख्ता—१४७ में गैरारा एस्सार ऑयल लिं० द्वारा विकरित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु ०.०७५१ हेठो संरक्षित वन भूमि का चिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के रांबध में।

संदर्भ — उ०३० शासन वन एवं वन्य जीव अनुशासन—२ के पत्रांक पी—१२२ / १४—२—२०१६—३००(८१) / २०१६ दिनांक १०—०८—२०१६ एवं मुख्य वन सरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०३० लखनऊ की पत्रांक ३२१ / ११८ी दिनांक १२—०८—२०१६।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सख्ता—११—२६८ / २०१४ / एफ०सी०, दिनांक ११—७—२०१४ के विन्दु सख्ता (i) से (vii) तक का अनुपालन किया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मवदीय,

(एम० संगीरन) \*  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
विजनौर। 